फाइल सं. ए.12018/ 12/2019-लेप

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(सीसीडी अनुभाग)

विषय -केंद्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुंसधान संस्थान (सीएलटीआरआई), चेंगलपट्टू, उच्च श्रेणी लिपिक समूह 'ग' के लिए भर्ती नियमों में संशोधन पर सार्वजनिक नोटिस के संबध में।

कार्मिक एंव प्रशिक्षण विभाग के दिंनाक 13.10.2015 के का.ज्ञा.सं एबी. 14017/61/2008-स्था.(आरआर) के अनुपालन में, केंद्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुंसधान संस्थान (सीएलटीआरआई), चेंगलपट्टू में उच्च श्रेणी लिपिक समूह 'ग' के पद के लिए भर्ती नियमों का मसौदा संलग्न है।

2. भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई आपत्तियों/टिप्पणियां या सुझाव देने वाले इच्छुक हितधारक मसौदा भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारिख से 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रुप में अपनी आपत्तियां/टिप्पणियां या सुझाव, श्री बैद्यनाथ प्रसाद, अवर सचिव, स्वास्थय और परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा सं, 753-क, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110011 या ई-मेल पर भेज सकते है। baidyanath.prasad@nic.in

(बैद्यनाथ प्रसाद)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष 23061510

नई दिल्ली
दिनांक 17/2/19

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 11, खड 3, उप-खड (1) म प्रकाशनाथ

भारत सरकार

स्वास्थय और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली,..............2019

सा.का.नि................................. .राष्ट्रपति संवाधान के अनुच्छेद 309 के परतुंक द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हूए और केन्द्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुंसधान संस्थान ,चेंगलपट्टु तमिलनाडू में उच्च श्रेणी लिपिक समूह 'ग' पद भर्ती नियम 1980 के अधिक्रमण से पहले किए गए या लोप किए गए संवर्ग को छोड़कर ,एतदद्वारा केन्द्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुंसधान संस्थान ,चेंगलपट्टु तमिलनाडू उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर भर्ती कि पद्ति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनातें हैं , नामत:

1. **लघु शीर्षक और प्रारभं- (1)** इन नियमों को केन्द्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुंसधान संस्थान, चेंगलपट्टु तमिलनाडू में उच्च श्रेणी लिपिक समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2019 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारिख से प्रभावी होंगे।

2. **पदों कि संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान-** उक्त पद की संख्या, इसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में यें स्तर या वेतनमान वहीं होंगे जो इन नियम के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किए जांएगे।

3. **भर्ती कि पद्ति, आयु-सीमा, अर्हता, आदि-** भर्ती कि पद्ति, आयु-सीमा, अर्हता और अन्य मामले उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

4. **अनर्हता**-कोई व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह के लिए अनुंबध किया है जिसका पहले से कोई जीवित पति/पत्नी है, या

(ख) जिसनें अपनें पति/पत्नी के जिवित रहते किसी व्यक्ति के साथ विवाह या विवाह के लिए अनुंबध किया है, उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा;

बशर्ते कि केंद्र सरकार संतुष्ट हो जाती है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अन्य आधार हैं, तो केंद्र सरकार इस नियम के प्रचालन से किसी व्यक्ति को छूट दे सकती है।

5. शिथिल करने का अधिकार-जहां केंद्र सरकार का यह मत है कि ऐसा करना आवशयक या समयोचित है, तो वह आदेश द्वारा किसी भी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के संबध में इन नियमों के किसी उपबंध को शिथिल कर सकती हैं, जिसके करणों को लिखित में अभिलेखित किया जाएगा।

6. बचत इन नियमों में ऐसा कुछ नही होगा जिससे अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों या इस संबध में केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार व्यक्तियों कि कोई अन्य विशेष श्रेणियों के लिए आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अपेक्षित अन्य रियायतें प्रभावित हो।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन या अचयन पद	सीधें भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उच्च श्रेणी लिपिक	नौ पद * (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकती है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	स्तर-4 (रु. (25500-81100) वेतन मट्रिक्स में	लागू नहीं	18 से 27 वर्ष की आयु के बीच (केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार 40 वर्ष तक के सरकारी कर्मचारियों के लिए छूट दी जा सकती है) नोट: आयु सीमा निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तिथि कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) द्वारा तय की जाएगी। (जहां भर्ती एसएससी के माध्यम से नहीं होती है, आयु सीमा निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण तारीख आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधें भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू	परिवीक्षा कि अवधि यदि कोई हो	भर्ती कि पद्ति भर्ती सीधें होगी या पोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्तिय आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्तियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों कि

	होंगी		प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष की डिग्री।	लागू नही	2 वर्ष सीधी भर्ती के लिए पदोन्नति के लिए शून्य	पदोन्नति के द्वारा जिसके नाकाम होने पर प्रतिनियुक्ति के द्वारा दोनों के नाकाम होने पर सीधी भर्ती के द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती कि दिशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करनें में किन परिस्थियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
पदोन्नति:- वेतन मैट्रिक्स के लेवल 2 में लोअर डिवीजन क्लर्क ग्रेड में 8 साल की नियमित सेवा के साथ। नोट: जहां जूनियर जिन्होंने अपनी योग्यता या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, उन्हें पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठ को भी माना जाएगा, बशर्ते कि वे अपेक्षित योग्यता से कम न हों या ऐसी योग्यता / पात्रता सेवा के आधे से अधिक पात्रता सेवा या 2 साल, जो भी कम हो और अपने कनिष्ठों के साथ अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूरा कर चुके हैं जिन्होंने इस तरह की योग्यता / योग्यता सेवा पहले ही पूरी कर ली है। नोट 1: पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हकारी सेवा की गणना करने के उद्देश्य से 1 जनवरी, 2016 से पहले एक अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर प्रदान की गई सेवा या जिस तारीख से 7 वें	सीएलटीआरआई में ग्रुप 'सी' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति के लिए)। 1. अतिरिक्त निदेशक - अध्यक्ष 2. उप निदेशक (महामारी) - सदस्य 3. सहायक निदेशक (लैब) - सदस्य 4. प्रशासनिक अधिकारी - सदस्य	लागू नही

सीपीसी सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना को लागू किया गया है वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर बढ़ाए गए वेतन मैट्रिक्स में संबंधित वेतन स्तर में प्रदान की गई सेवा माना जाएगा। प्रतिनियुक्ति: केंद्र सरकार के अधिकारी: यूडीसी के पद पर नियमित रूप से अनुरूप पद पर हों या लोअर डिवीजन क्लर्क के ग्रेड में 8 साल की नियमित सेवा के साथ। फीडर श्रेणी में विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी रेखा में हैं, वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्तिकर्ता पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार के लिए पात्र नहीं होंगे।		